न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 78/2024 तारीख रजू :– 10.12.2024

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री पूजा मीना आर.ए.एस.

गोपाल पुत्र भोलाराम उम्र 40 साल जाति मीना निवासी भजेडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज०) सायल

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामकरण
2. अशोक
3. शीशराम
4. अजीत
   } पिस० ओमप्रकाश
5. तहसीलदार जी तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज०)

समस्त जाति मीना निवासी भजेडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज०)

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– राजकुमारसिंह राजावत एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी की ओर – सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांकः– 23.06.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल खाता सं0 145 में दर्ज आराजी ख0नं0 1001 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1002 रकबा 0.14 हैक्टेयर, [illegible] रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1004 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1005 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1006 रकबा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

0.34 हैक्टेयर, 1007 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1011 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 1012 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1013 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1014 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1015 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1016 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1017 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1018 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1019 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1020 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 1021 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 1022 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 1023 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1024 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1025 रकबा 0.36 हैक्टेयर, 1026 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 264 रकबा 0.41 हैक्टेयर, 735 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 736 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 26 कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर ग्राम भजेडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज०) में स्थित है। जिसमें सायल हिस्सा 1 / 20 है। शेष हिस्से के अन्य खातेदार काश्तकार है। सायल एवं गैरसायलान ने मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार अपनी–अपनी भूमि का वहामी बंटवारा कर रखा है, लेकिन सायल एवं मूल वाद के प्रतिवादी नं0 01, 05 ता 30 के मध्य रिकार्डेड बंटवारा नही होने के कारण आये दिन डोल मेड को लेकर विवाद होता रहता है। दिनांक 04 / 12 / 2024 को गैरसायल नं0 01 ता 04 अपने वहामी हिस्से को छोडकर सायल को मिले वहामी हिस्से पर सायल के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 264 रकबा 0.41 हैक्टेयर पर निर्माण करने के लिये नींव खुदवा रहे थे, जिस पर सायल ने हाथ जोडकर गैरसायल नं0 01 ता 04 को मना किया कि भाईयों यह जमीन तो वहामी बंटवारे में मेरे हिस्से में आई है। इस पर तुम निर्माण मत करों और गोबर का घूडा नही डालो। इतना सुनते ही गैरसायल नं0 01 नाराज हो गये और कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे हिस्से की भूमि पर निर्माण व घूडा डालकर ही रहूंगा। सायल ने गैरसायल नं0 01 व मूल वाद के प्रतिवादी नम्बर 05 ता 30 से तहसील टोडाभीम चलकर अपने–अपने हिस्से की आराजी का विधिवत बंटवारा कराने का निवेदन किया तो गैरसायलान ने साफ इंकार कर दिया जिस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।सायल का प्रामाईफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त भी सायल के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार दृव्य में भी संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे खसरा नम्बर 1001 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1002 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1003 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1004 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1005 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1006 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 1007 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1011 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 1012 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1013 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1014 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1015 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1016 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1017 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1018 रक़बा 0.28 हैक्टेयर, 1019 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1020 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 1021 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 1022 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 1023 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1024 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1025 रकबा 0.36 हैक्टेयर, 1026 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 264 रकबा 0.41 हैक्टेयर, 735 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 736 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 26 कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर. ग्राम भजेडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज०) में सायल के हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार की कोई मजाहमत—मदाखलत पैदा नही करें तथा सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देंवे। गैरसायल नं 01 ता 04 ऐसा कोई कार्य व निर्माण ना तो स्वयं करें और ना ही गोबर का घूडा पटके और ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे हक हकूक सायल प्रतिकूल असर पडता हो। गैरसायलान रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अधिकतम तथ्यो को अस्वीकार किया तथा विशेष विवरण में अंकित किया [illegible] कुल किता 26 कुल रकवा 4:63 है0 ग्राम भजेडा तहसील टोडाभीम में होना स्वीकार है। जिनसे गैरसायल नं0 1 का हिस्सा 1 / 30 है जिस पर गैरसायल नं0 1 काबिज है शेष हिस्से के अन्य सह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

खातेदार है गैरसायल नं0 1 को वाहमी बटवारे मे जहा हिस्सा है वहा पर गैरसायल नं0 1 काबिज एवम दखील है तथाकथित तारीख 04:12:2024 एकदम गलत अंकित की है खसरा नं0 264 रकवा 41 ऐयर है जिस पर गैरसायल नं0 1 सहित कई खातेदार काबिज है क्योकि उक्त खाते में कुल रकवा 4:63 है0 है तथा जिसमें सायल मात्र 1 / 20 हिस्से का खातेदार है यानि उसके हिस्से में कुल 23 ऐयर भूमि आती है जब कि सायल उक्त खसरा नं0 264 सम्पूर्ण को बता रहा है उक्त आराजी खं0 नं0 264 के बाहमी बटवारे में आये अपने हिस्से पर गैरसायल नं0 1 काबिज है तथा उसका उपयोग उपभोग कर रहा है गैरसायल नं 1 के हिस्से से सायल का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नही रहा है और ना ही आज है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

मैने अधिवक्तागण की बहस सुनी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि खं0 264 सायल के हिस्से में आया गैरसायलान उक्त आराजी पर निर्माण करना चाहते है तथा सायल के मकान के रास्ते को रोकना चाहते है अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र वर्णित कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि कुल किता 26 कुल रकवा 4:63 है0 ग्राम भजेडा तहसील टोडाभीम में स्थित है जिसमें गैरसायलान नं0 1 हिस्सा 1 / 30 का रिकोर्डेड खातेदार है तथा खं0 नं0 264 सहित अपने हिस्से पर काबिज है प्रार्थी उक्त आराजी में 1 / 20 का खातेदार है यानि प्रार्थी सम्पूर्ण आराजी में 23 ऐयर रकवा का खातेदार है जबकि खं0 नं0 264 का रकवा 41 ऐयर है जो अप्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे में है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। [illegible] निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय [illegible] होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:18 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः**— प्रार्थना पत्र [illegible] आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम भजेडा की जमाबन्दी संवत 2074—77 के खाता संख्या 145 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 1001 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1002 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1003 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1004 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1005 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1006 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 1007 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1011

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

रकबा 0.18 हैक्टेयर, 1012 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1013 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1014 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1015 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1016 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1017 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1018 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1019 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1020 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 1021 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 1022 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 1023 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1024 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1025 रकबा 0.36 हैक्टेयर, 1026 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 264 रकबा 0.41 हैक्टेयर, 735 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 736 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 26 कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर मे सायल 1/20 हिस्से के खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा गैरसायल नम्बर 1 का हिस्सा 1/30 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार गैसायलान नं0 1 ख0नं0 264 सहित अपने हिस्से पर काबिज है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे सावित है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे सावित होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि उभयपक्षकारान को पाबन्द नही किया जाता है तो उभयपक्षकारान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया दोनो पक्षो का आराजी में हिस्सा है तथा आवागमन का बिवाद है दोनो पक्ष अपनी अपनी खातेदारी पर काबिज है इसलिए मूल दावे के निस्तारण तक उभय पक्षकारान को पावंन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे की आवागमन में व्यवधान नही करे तथा एक दुसरे का रास्ता नही रोके। न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2024 को दिये गये आदेश ता फैसला कन्फर्म किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
[illegible] सहायक कलक्टर
[illegible] करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:18 IST
Reason: SelfAttested